न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 54/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/196**
दायर दिनांक :– 11.03.2024 **निर्णय दिनांक :– 09.01.2025**

1. सुगनी पुत्री राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. मनु पुत्री राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. सुखी पुत्री राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाल जिला फलोदी
4. पपु पुत्री राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. भंवरी पुत्री राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रेंवताराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरूराम उर्फ हरीराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. मोहनराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पेमाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. मोहनराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. भंवरलाल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. चूनाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. धापू पुत्री राजूराम पत्नी रेवन्तराम फौत के कायम मुकाम

9/1 पूनाराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/2 गणेशाराम पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/3 राकेश पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/4 लक्ष्मण पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/5 उम्मेदाराम पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/6 गंगा पुत्री रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9/7 लाच्छी पुत्री रेवन्ताराम जाति जाट निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

10. ग्राम पंचायत रोहिणा जरिये ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति घंटियाली
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 273 रकबा 146–11 बीघा, खसरा नम्बर 285 रकबा 64–01 बीघा, खसरा नम्बर 244 रकबा 198–00 बीघा सरहद मौजा रोहिणा तहसील

09/01/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पड़दादा भैरा पुत्र जवीराज के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। भैरा पुत्र जीवराज फौत हो चुके है। भैरा पुत्र जीवराज के हिस्से की भूमि के हकदार भैरा पुत्र जीवराज के सभी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9/7 है और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवाससीय ढाणी, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 5/36 हिस्सा बनता है इसी अनुसार ही प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्व इस अमर की जारी की जावे कि वादग्रस्त खसरान की पैतृक भूमि में प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण पैतृक हिस्सा बनता है या नही इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

09/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)